भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 933

08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय

933. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल), जिसे पारंपरिक ज्ञान के भारतीय डिजिटल ज्ञान भंडार के रूप में स्थापित किया गया था, का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;
(ग) इससे क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और
(घ) देश के प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को बायोपाइरेसी और अनैतिक पेटेंट के माध्यम से शोषण से बचाने के लिए किए गए/किए जाने वाले ऐसे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल), भारतीय पारंपरिक ज्ञान की पूर्व कला का डेटाबेस है जिसकी स्थापना 2001 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग (आईएसएम एंड एच विभाग, अब आयुष मंत्रालय) द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। टीकेडीएल की स्थापना बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से भारतीय पारंपरिक ज्ञान (टीके) के दुरूपयोग को रोकने के लिए की गई थी। टीकेडीएल में इस समय आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित प्राचीन ग्रंथों से ली गई सूचना है। भारतीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों से ली गई जानकारी को टीकेडीएल डेटाबेस में पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं यथा, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी में लिप्यंतरित किया गया है। इस प्रकार टीकेडीएल भारतीय पारंपरिक ज्ञान की सूचना के ठोस पूर्व कला डेटाबेस के रूप में काम आता है और पूरे विश्व के पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट जांचकर्ताओं द्वारा समझी जाने वाली भाषाओं और प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराता है। इसलिए, टीकेडीएल पेटेंट कार्यालयों द्वारा गलत पेटेंट दिए जाने को रोकता है।

पेटेंट कार्यालयों द्वारा उनके पास दर्ज पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में टीकेडीएल के साक्ष्यों की खोज के लिए डाटाबेस की पहुंच विश्वभर के उन पेटेंट कार्यालयों को दी जाती है जिन्होंने सीएसआईआर के साथ गैर-प्रकटीकरण पहुंच करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। 16 पेटेंट कार्यालयों को टीकेडीएल पूर्व कला डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की गई है जिनमें भारतीय पेटेंट कार्यालय (पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक), यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, अमेरिकी पेटेंट कार्यालय, जापानी पेटेंट कार्यालय, जर्मन पेटेंट कार्यालय, कनाडा का पेटेंट कार्यालय, चिली पेटेंट कार्यालय, ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट कार्यालय, यूके पेटेंट कार्यालय, मलेशियाई पेटेंट कार्यालय, रूसी पेटेंट कार्यालय, पेरू पेटेंट कार्यालय, स्पेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय और डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, नेशनल इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी संस्थान (एनआईपीआई, फ्रांस) और यूरेशियन पेटेंट संगठन शामिल हैं।

पेटेंट कार्यालयों द्वारा टीकेडीएल डेटाबेस का उपयोग किए जाने के अलावा, सीएसआईआर-टीकेडीएल इकाई भी भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित पेटेंट आवेदनों पर तीसरे पक्ष की टिप्पणियों/अनुमति-पूर्व विरोध को दायर करती है। टीकेडीएल के माध्यम से यह रक्षात्मक बचाव भारतीय पारंपरिक ज्ञान के गलत उपयोग से बचाने में प्रभावी रही है और इसे वैश्विक बैंचमार्क माना जाता है।

(ख) और (ग): टीकेडीएल डेटाबेस में अब तक कुल 466011 भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधयोगों का लिप्यांतरण किया गया है जिनमें आयुर्वेद के 131628, यूनानी के 246714, सिद्ध के 76487, सोवा रिग्पा के 6134 और योग की 5048 तकनीकें शामिल हैं। टीकेडीएल के साक्ष्यों के आधार पर अभी तक

324 पेटेंट आवेदनों को या तो अस्वीकार, संशोधित किया गया है अथवा वापस ले लिया/परित्यक्त कर दिया गया है, और इस प्रकार भारतीय पारंपरिक ज्ञान की रक्षा की गई है।

(घ): जैव-विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार, भारत से प्राप्त जैविक सामग्री और उससे संबंधित ज्ञान पर आधारित कोई बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक है। जैव-विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, पीपुल्स बायोडाईवर्सिटी रजिस्ट्रर के लिए भी प्रयास कर रहा है। यह रजिस्टर, स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय अथवा किसी अन्य उपयोग के बारे में व्यापक जानकारी का औपचारिक अभिलेखन और रखरखाव का एक साधन है। सीएसआईआर-टीकेडीएल यूनिट ने राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पीपुल्स बायोडाईवर्सिटी रजिस्ट्रर से सूचना को टीकेडीएल डेटाबेस में शामिल करने की संभावना के तौर-तरीकों का आकलन और उनकी पहचान की जा सके।

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3त के अधीन, एक आविष्कार जो प्रभावी रूप से पारंपरिक ज्ञान है या जो पारंपरिक रूप से ज्ञान के संघटक या संघटकों के ज्ञात गुणों का संकलन या पुनरावृति है, वह पेटेंट योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, पेटेंट अधिनियम, 1970 विनिर्देश में जैविक पदार्थ का स्रोत और भौगोलिक मूल, जब उसका किसी आविष्कार में प्रयोग किया गया हो, के प्रकटीकरण के लिए प्रावधान करता है और राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण को सूचित करता है तथा इस प्रकार अनुपालन को सुविधाजनक बनाता है।

*****